



31/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 308/28/76/एक/2018-19

दिनांक : 27 अप्रैल 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-लखीमपुर खीरी।

विषय :
महोदय,

मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	20295441879	IFSC Code ALLA0210285	245.815

(धनराशि लाख ₹० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व मु०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	लखीमपुर खीरी	मु०अ०-37	न०प० बरबर	वार्ड नं० 065 के मो० रोशन नगर इण्टरलॉकिंग रोड से-आसरा कॉलोनी तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	55.815
2	लखीमपुर खीरी	मु०अ०-37	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड नं० 21 के मो० महाराजनगर में पालकी मैरिज लान से आई०डी० तोलानी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	13.016
3	लखीमपुर खीरी	मु०अ०-37	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड नं० 13 के मो० ईदगाह (शिव कालोनी) में वीरेन्द्र भारत के मकान से रामचन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	13.577
4	लखीमपुर खीरी	मु०अ०-37	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड नं० 13 के मो० ईदगाह (शिव कालोनी) में संदीप के मकान से अशोक मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	16.153
5	लखीमपुर खीरी	म०ब०-83	न०पा०प० मोहम्मदी	वार्ड नं० 02 बाजारगंज उत्तरी पूर्वी (आदर्श नगर कॉलोनी) में मकान मुस्तकीम से पहले विनोद के मकान के आगे तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	10.676
6	लखीमपुर खीरी	म०ब०-83	न०पा०प० मोहम्मदी	वार्ड नं० 01 शंकरपुर छावनी हरवंश आरा मशीन के बगल से रामेश्वर व शंकरलाल तक इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	33.809
7	लखीमपुर खीरी	म०ब०-83	न०पा०प० पतियाकलां	वार्ड सं०-08 मो० इन्दिरा नगर में निघासन रोड से रिंकल पत्रकार के घर तक, अमरिक के मकान से सोनू थारू व प्रमोद महाजन के मकान से अनिल के मकान तक, त्रिलोकनाथ के मकान से लाखन व लक्ष्मण लेखपाल वाली व सरदार जी महंगापुर वाली	13.346



37/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व मु०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
				रोड तक, कैलाश के मकान से राजकुमार व सालिक के मकान से रामकुमार व लाखन के मकान से राजेन्द्र के मकान होते हुए सालिक के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	
8	लखीमपुर खीरी	म०ब०-83	न०पा०प० पलियाकलां	वार्ड सं०-02 मो० सिंगहिया (गंगानगर) नगर में फिक्कू लाल के मकान से शारद के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.897
9	लखीमपुर खीरी	म०ब०-83	न०पा०प० पलियाकलां	वार्ड सं०-04 के मो० टेहरा में रामआसरे के मकान से सुरेश के मकान तक व रामआसरे के मकान से सुरेन्द्र एल०आई०सी० तक, लक्ष्मी सटरिंग वाले से सोनू के मकान तक, कल्लू यादव के मकान से बालकराम के मकान होते हुए छोटे के मकान से मेन रोड तक, लक्ष्मी ट्रक बाडी मेकर से कुलवन्त के मकान तक व राजेन्द्र होली चौराहा होते हुए शर्माजी के घर तक, गया प्रसाद के मकान से कुलदीप के मकान तक, अनिल के मकान से रामनरेश तक मानू के मकान से गया प्रसाद के मकान तक व सरजू मोहित तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	22.243
10	लखीमपुर खीरी	म०ब०-83	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं०-05 के मो० शिवकालोनी में एल०आर०पी० मार्ग से निर्मल वर्मा के मकान होते हुए सिंचाई विभाग कॉलोनी की दीवार तक इण्टरलॉकिंग सड़क व गली का निर्माण कार्य।	7.118
11	लखीमपुर खीरी	म०ब०-83	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं०-15 के मो० स्वरूप नगर में कुँज बिहारी, वर्मा के मकान से दिनेश धोबी के मकान तक एवं वीरेन्द्र प्रताप भार्गव के मकान से बन्धुराम राना के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	10.676
12	लखीमपुर खीरी	म०ब०-83	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं०-05 मो० ईदगाह (शिव कॉलोनी) में प्रदीप के मकान से शाहिद के मकान तक वाया गोलू कश्यप के मकान से दिलीप के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.449
13	लखीमपुर खीरी	म०ब०-83	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं०-05 मो० शिवकालोनी में डा० डी०एन०वर्मा के मकान से अरुण पाण्डे के मकान तक वाया दयाशंकर के मकान से अनुज के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	4.449
14	लखीमपुर खीरी	म०ब०-83	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं०-05 मो० शिव कॉलोनी में अमित के मकान से दिनेश चन्द्र के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.338
15	लखीमपुर खीरी	म०ब०-83	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड नं० -05 के शिव कॉलोनी में राम प्रकाश के मकान से आकाश वर्मा के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.449



37/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
16	लखीमपुर खीरी	म०ब०-83	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं०-20 के मो० नौरंगाबाद में मलेरिया कार्यालय से वाल्मीकी अम्बेडकर योजना तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	4.449
17	लखीमपुर खीरी	म०ब०-83	न०पा०प० लखीमपुर खीरी	वार्ड सं०-20 के मो० नौरंगाबाद में वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना के मुख्य मार्ग से योजना के आवास सं०-40 तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	3.559
18	लखीमपुर खीरी	म०ब०-83	न०प० धौराहरा	वार्ड नं० 01 के अन्तर्गत मो० घोसिन/चमारनटोला में धनई के मकान से राम भजन के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.572
19	लखीमपुर खीरी	मु०अ०-37	न०प० धौराहरा	वार्ड नं०-02 के अंतर्गत मो० कोरियाना टोला में रामादल के मकान से नेत्र प्रकाश के मकान होते हुए कामता के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.050
20	लखीमपुर खीरी	मु०अ०-37	न०प० धौराहरा	वार्ड नं०-02 के अंतर्गत मो० कोरियाना टोला में श्याम लाल के मकान से जयगुरुदेव एकेडमी तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.174
	योग				245.815

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।



37/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय/

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक